न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक R 4-263-I 16 सन्

01. पुरूषोत्तमदास तनय श्री फुट्टनलाल सोनी
02. रामकुमार तनय श्री फुट्टनलाल सोनी
    निवासीगण ग्राम बमीठा तहसील राजनगर
    जिला छतरपुर म0प्र0
03. तुलसिया उर्फ तुलसा पुत्री खरया पत्नी श्री दीनदयाल अहिरवार
    हाल निवासी पहरापुरवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
04. जसोदा उर्फ दसोदा पुत्री खरया पत्नी श्री गिल्ला अहिरवार
    हाल निवासी सुकवापहाड़ी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
05. बिन्ना उर्फ बिनिया पुत्री खरया अहिरवार पत्नी भोपाल अहिरवार
    हाल निवासी सिंहपुर तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0

.............निगरानीकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दि. 19.12.16 को प्रस्तुत

19-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

798
19-12-16

बनाम

01. भन्ती बेवा खरया अहिरवार
02. छन्नु तनय पुत्रगण खरया अहिरवार
03. कुन्जा तनय श्री खरया अहिरवार
04. मुबला तनय श्री खरया अहिरवार
    निवासीगण ग्राम ललगुवॉ तहसील राजनगर
    जिला छतरपुर म0प्र0

............गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 सन 1959 के तहत् प्रकरण कमांक 23/अ-3/2014-15 आदेश दिनांक 09.01.2015 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजनगर से परिवेदित होकर।

महोदय,

हम निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तु करते है–

निगरानी के तथ्य

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ग्राम ललगुवॉ तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि खसरा नं0 315/2/6/2, 320/1/2 किता 2 कुल रकवा 2.361हे0 का खाता राजस्व रिकार्ड में हम निगरानीकर्तागण कं0 3,4,5 एंव गैर निगरानीकर्तागणो के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज था उक्त भूमि पर हम उभयपक्ष आपसी बाहमी बटवारा हक हिसा व कब्जा अनुसार कृषि कार्य करते

क्रमशः /2/

पुरूषोत्तमदास सोनी   रामकुमार सोनी   [redacted]   [redacted]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-4263-एक/2016 जिला छतरपुर पुरूषोत्तमदास विरूद्ध भन्ती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018 28.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार राजनगर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-01-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य